



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239223  
CG-DL-E-29092022-239223

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4399]  
No. 4399]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

खान मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

का.आ. 4596(अ). — केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश सं. एम.VI-16/15/2021-खान VI, तारीख 12 अगस्त, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) द्वारा जारी किए गए प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अभिकरणों को अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	खोज अभिकरण	खोज अभिकरण के प्रवर्ग
1	मेसर्स जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सोल्यूशन्स	क
2	मेसर्स जियो मरीन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	ख
3	मेसर्स इकोमेन लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	क

2. अभिकरण, प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचनाओं के लिए उक्तमार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना के साथ पूर्वेक्षण संक्रियाएं करेंगे।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसकी समाप्ति तक या प्रदत्त प्रत्यायन की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, विधिमान्य होगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2022

**S.O. 4596(E).**—In exercise of the powers conferred under the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, the Central Government hereby notifies the following agencies as specified in the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines vide order no. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021 (hereafter referred to as the said guidelines for notification of accredited private exploration agencies) for the purposes of the said second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act:

Serial Number	Exploration Agency	Category of Exploration Agency
1	M/s Geo Exploration and Mining Solutions	A
2	M/s Geo Marine Solutions Pvt. Ltd.	B
3	M/s Ecomen Laboratories Pvt. Ltd.	A

2. The agencies shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines for notifications of accredited private exploration agencies.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of three years from the date of notification or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.